समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

पत्रांक..................../श0

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक......................

विषय : आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव- 2015 के अवसर पर मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार के सभी मुख्य -मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

सo/-

जिला दण्डाधिकारी,
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1185 /श0, मधेपुरा, दिनांक 2-9-15

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

<u>आम सूचना</u>

आगामी बिहार विधान सभा चुनाव- 2015 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त 9 के तहत् सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला के एवं इस जिले में रह रहे अन्य जिलों के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों, शस्त्र दुकाने एवं अनुज्ञप्तियों तथा शस्त्र, गोली (कारतूस) का भौतिक सत्यापन दिनांक 24-07-2015 से दिनांक 27-07-2015 तक को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0 तक मधेपुरा जिले के सभी मुख्य थानों में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा किए जाने का निदेश दिया गया था। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने उक्त तिथियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करा पाए है, उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 07.09.2015 से 13.09.2015 तक को 10:00 बजे पूर्वा0 से 05:00 बजे अप0 तक मधेपुरा जिले के संबंधित थाना में उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी यथा संबंधित अंचल अधिकारी से करवाना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि सहायक थाना में शस्त्र सत्यापन हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वैसी स्थिति में निकटवर्त्ती मुख्य थाना में उपस्थित होकर सत्यापन करायेंगे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराते है, तो उनके विरुद्ध उक्त शस्त्र नियमावली के उल्लंघन के तहत् शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द एवं जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसे सख्त ताकीद समझें।

जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।